

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-64/2016

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. औमप्रकाश          | } | पुत्र धोकलराम |
| 2. हिम्मतसिंह        |   |               |
| 3. जयप्रकाश          |   |               |
| 4. मिश्री देवी पत्नी | } | सरदारा        |
| 5. रामपत पुत्र       |   |               |
| 6. शीशराम पुत्र      |   |               |
| 7. मेहरचंद पुत्र     |   |               |
| 8. सन्तोष पुत्री     |   |               |

समस्त जाति अहीर निवासी नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

.....वादीगण

बनाम

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. औमप्रकाश पुत्र विशम्भर जाति ब्राहमण निवासी नावता की ढाणी तह. बुहाना |   |   |
| 2. इन्द्राज  | } | पि. नानू                                  |
| 3. अमरसिंह   |   |   |
| 4. श्योताज   |   |   |
| 5. पुष्पा देवी पत्नी   | } | प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी नावता की ढाणी |
| 6. ब्रहमप्रकाश पुत्र   |   |   |
| 7. वेदप्रकाश पुत्र   |   |   |
| 8. शकुन्तला पुत्री   |   |   |
| 9. चान्दा देवी पत्नी शेरसिंह   |   |   |
| 10. धनश्याम पुत्र  | } | डेडाराम                                   |
| 11. सुबेसिंह पुत्र   |   |   |
| 12. चन्द्रो पत्नी  | } | लखतीचंद पुत्र कालू                        |
| 13. संदीप पुत्र  |   |   |
| 14. कुलदीप पुत्र   |   |   |
| 15. मिश्री देवी पत्नी प्रभूदयाल पुत्र मनभर                             |   |   |
| 16. बसन्ती पत्नी शंकर  |   |   |
| 17. श्योबाई पत्नी बन्नेसिंह  |   |   |
| 18. राजेन्द्र पुत्र  | } | बन्ने सिंह नवीरा शंकर                     |
| 19. दलीप पुत्र   |   |   |
| 20. स्नेह लता पत्नी सरजीत पुत्र बन्नेसिंह                              |   |   |
| 21. रितिक पुत्र सरजीत नवीरा बन्नेसिंह नाबालिक जरिये माता स्नेह लता     |   |   |
| 22. लीलाराम  | } | शंकर                                      |
| 23. छोटेलाल  |   |   |
| 24. झब्बुराम   |   |   |



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

25. मान्न्सिंह } श्योकरण  
26. मोहरसिंह }  
27. रामकुमार }  
28. सुरस्ती पत्नी }  
29. औमदत्त पुत्र } झुथाराम  
30. राजेन्द्र पुत्र }  
31. जगमाल पुत्र }  
32. भूपसिंह पुत्र } भाताराम  
33. ढोलाराम पुत्र }  
34. बलवान पुत्र }  
35. बाबुलाल पुत्र }  
36. ज्यराम पुत्र } निहालाराम  
37. फुलचंद पुत्र }  
38. छोटेलसल }  
39. मुंशीराम }  
40. किरोडरमल }  
41. सांवतराम पुत्र रामचन्द्र नवीरा हरसहाय  
42. भगवानसिंह पुत्र काशी  
43. कंवरसिंह पुत्र काशी  
44. औमप्रकाश पुत्र सुण्डा  
45. रामकिशन पुत्र सुण्डा  
46. रामकुवार पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासी नावता की ढाणी तहसील बुहाना  
47. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां तहसील बुहाना  
48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

--: निर्णय :-

दिनांक :- 29-08-2022

वादीगण दावे का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम नावता की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2671 रकबा

  
(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

0.26 है., खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.55 है. कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है. भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 4 लगायत 8 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 4 लगायत 8 हिस्से के साथ खाता संख्या 25 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार डेडाराम पुत्र नाथाराम फौत हो चुका है। उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 10, 11 को पक्षकार बनाया है। खातेदार प्रताप पुत्र मनभर अविवाहित नाऔलाद फौत हो गया है। उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 को पक्षकार बनाया है। खातेदार कालू पुत्र मनभर फौत हो चुका है। उसके स्थान पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 15 को पक्षकार बनाया गया है। खातेदार बन्नेसिंह पुत्र शंकर फौत हो चुका है उसके स्थान पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 21 को पक्षकार बनाया है। खातेदार रामचन्द्र पुत्र हरसहाय फौत होने पर उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 28 लगायत 41 को पक्षकार बनाया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा कदीम से अपने अपने हिस्से अनुसार कर रखा है तथा मौके पर कदीमी बाहमी बंटवारे के मुताबिक काबिज काश्त है। वाद वर्णित भूमि के खाता संख्या 25 के समस्त दर्ज खसरा नम्बरों में वादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, तथा वादी संख्या 4 लगायत 8 का भी 1/8 हिस्सा तथा 0.10 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। का प्रतिवादीगण को गत एक माह पूर्व खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया।

वादीगण वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है -

(क) कि वाके ग्राम नावता की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.55 है. कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है. भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 4 लगायत 8 का 1/8 हिस्सा, उसमें जोडते हुए रकबा 0.10 है. हिस्सा का खाता विभाजन कर बाहमी बंटवारे के अनुसार किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 10, 11, 44 लगायत 46

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहान  
जिला शुन्सु (राज.)

की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया । इकबालिये जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 10, 11, 44 लगायत 46 का प्रतिदावा रहा कि वाके ग्राम नावता की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.55 है. कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 3/80, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का हिस्सा 1/80, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, 11 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 44, 45 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 46 का 1/16 हिस्सा है जिसका खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग से लगान कायम किया जावे, तथा सड़क की भूमि सभी पक्षकरो के हिस्से में से बराबर-बराबर कम की जावे।

(3). वादीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्बत् 2070-73 (खाता संख्या 25), नक्शा ट्रेस व साक्ष्य में वादीगण के शपथ पत्र पेश किए गए।

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 22.05.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रैजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 26-04-2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण व प्रतिदावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

  
(सुनील कुमार चौहान)  
जज अफिसरी बुहाना  
जिला न्यायालय (राज.)

## -:: आदेश ::-

न्यायालय वाद वादी बाबत डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः न्यायालय मौके पर कब्जकाश्त व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 10, 11, 44 लगायत 46 का प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम नावता की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.55 है. कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला शुद्ध (राज.)

निर्णय आज दिनांक ----- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना  
जिला शुद्ध (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.

पिठासीन अधिकारी:-

एस.

राजस्व वाद संख्या- 64/2016

निर्णय दिनांक:- 29-08-2022

औमप्रकाश आदि बनाम औमप्रकाश आदि  
दावा बाबत- खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 10, 11, 44 लगायत 46 की ओर श्री मुकेश चौधारी की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.05.2019 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः न्यायालय मौके पर कब्जाकाश व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4, 6, 7, 9, 10, 11, 44 लगायत 46 का प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम नावता की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.30 है., खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1513 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1514 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.55 है. कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना